कार्यालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार–प्रथम अपील संख्या 05/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
खेमसिंह जोधा निवासी–ग्राम/पोस्ट शिकारापुरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज0)		**लोक सूचना अधिकारी** **अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,** **जोधपुर**

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर) कार्यालय हाजा।

निर्णय

दिनांक 24.08.2022

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी की टिप्पणी एवं पत्रावली का विशद परिशिलन किया गया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी–अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2022, जो कार्यालय में प्राप्त दिनांक **24.06.2022** के द्वारा कार्यालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में वर्ष 1994–95 में कार्यरत रहे अधिकारी/कर्मचारीयों के उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपी चाही गई थी। निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना नही मिलने के आक्षेप से अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
4. प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 20..06.2022 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में संस्थित प्रकरण की पत्रावली तलब की गई एवं अपील पर टिप्पणी चाही गई।
5. अपीलार्थी को सुनवाई हेंतु दिनांक 22.08.2022 को अवसर दिये जाने के उपरांत अनुपस्थित रहे।
6. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपनी टिप्पणी व उसके सलग्न प्रार्थी–खेमसिंह जोधा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2022 (कार्या0 में प्राप्त दिनांक 24.06.2022) के संदर्भ में दर्ज प्रकरण संख्या 71/2022 की पत्रावली प्रस्तुत कर मुख्यतः यह अवगत कराया कि प्राथी द्वारा कार्यालय संभागीय आयुक्त

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जोधपुर में वर्ष 1994–95 में कार्यरत रहे अधिकारी/कर्मचारीयों के उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां चाही गई थी। उक्त सूचना से संबंधित रेकर्ड इस कार्यालय के आदेश कमांकः लेखा/27 दिनांक 3.5.13 की अनुपालना में रेकर्ड निस्तारण हेतु गठित कमेटी द्वारा नष्टीकरण किया जा जुका है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 13 के अनुसार रिकार्ड नष्टीकरण रिपोर्ट हो तो सूचना की अस्वीकृति विधिक प्रावधान्तर्गत है। प्रार्थी को वांछित सूचना के कम में इस कार्यालय के पत्र कमांकः 123 दिनांक 20.07. 2022 के द्वारा रेकर्ड नष्टीकरण कर दिये जाने की सूचना निर्धारित समयावधि में रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर दी गई है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

7. अपीलार्थी द्वारा अन्य कोई प्रतिकिया प्रस्तुत नही की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विनिश्चय प्रदत्त है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थी–अपीलार्थी के आवेदन/प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2022 (कार्या में प्राप्त दिनांक 24.06.2022) के संदर्भ में जरिये पत्र कमांकः 123 दिनांक 20.07.2022 के द्वारा रेकर्ड नष्टीकरण कर दिये जाने की सूचना निर्धारित समयावधि में रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर दी गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण प्रस्तुत अपील खारीज की जाती है।
8. पत्रावली बाद निर्णय, नम्बर से कम की जावे तथा निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा को प्रेषित की जावे।

24/8/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर